न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवीरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड नम्बर 19, वस्तुदेव नगर, श्रीगंगानगर

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 19.06.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.03.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने दादा महेन्द्रसिंह पुत्र मंहगासिंह के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 185/78 डीएम गंगानगर पर दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 71241 प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 11.2.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.3.17 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये जाने परन्तु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने का उल्लेख किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है, की टिप्पणी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ज्ञानसिंह का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी ने अपने दादा श्री महेन्द्रसिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 564/70 डीएम गंगानगर पर दर्ज शस्त्र 12 बोर बन्दूक को प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त लाईसेंस की एवज में अपने नाम से लाईसेंस जारी करवाने हेतु दिनांक 11.2.17 को आवेदन किया। इसके समर्थन में दादा श्री महेन्द्रसिंह एवं स्वंय का शपथ पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किये। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र केवल इसलिए निरस्त किया कि अपीलार्थी शस्त्र नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता, जबकि शस्त्र नियम 2016 के नियम 11 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन इस तरह से किया जायेगा, नियम 11 के उपनियम 4 में यह बताया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पत्र के साथ कौन–कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है। नियम 11 में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा अभी लागू किया गया है। अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन स्वंय की सुरक्षा हेतु किया था। इन समस्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय शस्त्र नियम 2016 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री भगवानसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 24.3.17 में लिये गये आधार सही है। अपीलांट ने जान–माल का खतरा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उपनियमों की अपीलार्थी द्वारा पूर्ति नहीं किये जाने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है, जो उचित है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं होने से अप्रशिक्षित व्यक्ति के पास शस्त्र होने से मानव जीवन को संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा अपीलांट ने अपने दादा श्री महेन्द्रसिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र 12 बोर बन्दूक हासिल करने के उद्देश्य से उक्त इस लाईसेंस के एवज में लाईसेंस लेने के लिये अपने नाम से नवीन आवेदन किया है, जबकि लाईसेंस एवं उस पर दर्ज शस्त्र उत्तराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया । प्रकरण में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनाक 31.3.17 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.10.17 को प्रस्तुत की गयी है । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवम् शपथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके विरुध्द राज्य पक्ष द्वारा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः न्याय हित में अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण अनुसार अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 15.2.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.3.17 में आवेदक को कोई खतरा नहीं होने एवं आवेदक द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाने का उल्लेख किया गया । विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वृध्द प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार शपथ पत्र में वर्णित समस्त आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाए गये हैं किन्तु आर्म्स रूल्स 2016 के नियम 10 एवं 12 के समस्त उपनियमों की पूर्ति नहीं करता है, की टिप्पणी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया, जो खिलाफ कानून है, अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन स्वंय की सुरक्षा हेतु किया था । शस्त्र प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का परफॉर्मा श्रीगंगानगर में लागू ही नहीं किया गया है । प्रकरण में हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथनों से सहमत हैं कि अपीलांट ने अपने दादा श्री महेन्द्रसिंह के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र 12 बोर बन्दूक हासिल करने के उद्देश्य से उक्त लाईसेंस के एवज में अपने नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है, किन्तु लाईसेंस एवं उस पर दर्ज शस्त्र उत्तराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलान्ट द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 15.2.17 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में अपना कारोबार खेती बताया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है एवम् कॉलम सं0 15 में लाइसेंस की आवश्यकता ''स्वयम् की सुरक्षा '' के लिए कारण बताया है । परन्तु अपीलान्ट को उसकी जानमाल अथवा सम्पत्ति को किस प्रकार खतरा है, कोई कारण नहीं बताया है । अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 24.3.17 में आवेदक के खतरों के आकलन में आवेदक को कोई खतरा नहीं बताया गया है । प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत नया लाइसेंस प्राप्त करने शस्त्र नियम 2016 के नियम 10 व 12 के समस्त उप नियमों की पूर्ति नहीं करता है । ऐसी स्थिति में नवीन आर्म्स हेतु (वृध्द प्रकरण में दादा के शस्त्र लाइसेंस में दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने हेतु) अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा उचित ही खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

8. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।
9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर